

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 06, बुधवार, शके 1947- फरवरी 25, 2026 Phalgun 06, Wednesday, Saka 1947- February 25, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
सार्वजनिक निर्माण विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 10, 2026

प्रपत्र-7

(अतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) एव राजस्थान नियम 16(1))

RajKaj Ref No.: 20451759 :-चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य के टोंक जिले में देवली से जयपुर वाया बिसलपुर और टोडारायसिंह कस्बों को जोड़ने के लिये बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण (लगभग 1.513 कि.मी.) के निर्माण हेतु कुल 4.2100 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित है। सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) का कार्य मेसर्स थोट कंसल्टेंट्स, जयपुर प्रा.लि. द्वारा किया गया था। एस.आई.ए. अध्ययन की रिपोर्ट का मूल्यांकन नियम 16 के अन्तर्गत सरकार द्वारा गठित बहुउद्देशीय कमेटी द्वारा किया गया जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

1. अधिसूचित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के तहत की गई है।
2. राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबंध है, को ईलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने या परियोजना के क्रियान्वयन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
3. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का **भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) देवली, जिला-टोंक** की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अधिग्रहण के संबंध में आपत्ति **भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) देवली, जिला-टोंक** के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-देवली, जिला-टोंक (राज.)
राजस्थान राज्य के टोंक जिले में देवली से जयपुर वाया बिसलपुर और टोडारायसिंह कस्बों को जोड़ने के लिये बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण (लगभग 1.513 कि.मी.) के निर्माण हेतु कुल 3.6466 हैक्टेयर भूमि की अवाप्ति हेतु धारा-11 एवं धारा-12 की कार्यवाही बाबत प्रस्ताव

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमिका प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	जमाबंदी का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	भू-स्वामी का नाम
1	टोंक	देवली	रावतामजी	2	सरकारी	गै. मु. पहाड़	0.6200	159.0500	1. वन विभाग हिस्सा - पूर्ण महकमा जंगलात ,
2	टोंक	देवली	रावतामजी	1	सरकारी	गै. मु. पहाड़	0.8600	69.8800	राज. सरकार
3	टोंक	देवली	राजमहल	1396/1	सरकारी	गै. मु. नदी	0.4900	69.1200	1. वन विभाग हिस्सा - पूर्ण महकमा जंगलात ,
4	टोंक	देवली	बीसलपुर	1822	सरकारी	गै. मु. पहाड़	0.6500	4.1700	1. वन विभाग हिस्सा - पूर्ण महकमा जंगलात ,

5	टोंक	देवली	बीसलपुर	1816	सरकारी	गै.मु.पहाड़	0.1500	14.6200	1. वन विभाग राजस्थान हिस्सा - पूर्ण NA महकमा जंगलात ,
6	टोंक	देवली	बीसलपुर	605	सरकारी	गै.मु.पहाड़	0.4400	18.4500	1. वन विभाग राजस्थान हिस्सा - पूर्ण NA महकमा जंगलात ,
7	टोंक	देवली	बीसलपुर	1815	सरकारी	गै.मु.नदी	0.6600	7.8200	राज. सरकार
8	टोंक	देवली	बीसलपुर	606	सरकारी	गै.मु.नदी	0.3300	7.1500	राज. सरकार
9	टोंक	देवली	बीसलपुर	1814	सरकारी	गै.मु.नदी	0.0100	4.7100	राज. सरकार
परियोजना में कुल अवाप्त भूमि :							4.2100	354.97	

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग।